



अहम फैसले ध्यान देने योग्य

पहले मामले में मुख्य न्यायाधीश की अगुआई वाली बेंच ने निर्देश जारी किया कि मौजूदा या पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई भी आपराधिक केस राज्य सरकारें अपने स्तर पर वापस नहीं ले सकतीं। उन्हें इसके लिए हाईकोर्ट से इजाजत लेनी होगी।

अनुज शर्मा।

राजनीति के अपराधीकरण की तेज होती प्रक्रिया के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के दो अहम फैसले ध्यान देने योग्य हैं। दोनों फैसलों की खास बात यह है कि इनमें उन पक्षों की अपराधीकरण को बढ़ावा देने वाली भूमिका रेखांकित होती है, जिनसे उस पर अंकुश लगाने की अपेक्षा की जाती है। पहले मामले में मुख्य न्यायाधीश की अगुआई वाली बेंच ने निर्देश जारी किया कि मौजूदा या पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई भी आपराधिक केस राज्य सरकारें अपने स्तर पर वापस नहीं ले सकतीं। उन्हें इसके लिए हाईकोर्ट से इजाजत लेनी होगी।

यह निर्देश जारी करने का फैसला जल्दबाजी में इसलिए लेना पड़ा क्योंकि

अमाइकस क्यूरी (कोर्ट मित्र) की रिपोर्ट के मुताबिक, कई राज्य सरकारें ऐसे मामले वापस लेने की कोशिश में हैं। एक अन्य फैसले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आर एफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने बीजेपी और कांग्रेस सहित तमाम प्रमुख दलों पर अपने प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि को सही ढंग से उजागर न करने के कारण जमाना सुप्रीम कोर्ट के ही फरवरी 2020 में दिए गए एक फैसले से जुड़ा है, जिसके मुताबिक प्रत्याशियों को अपनी डीटेल्स या तो चयन के 48 घंटे के अंदर या फिर नामांकन पत्र भरे जाने की पहली तिथि से कम से कम दो हफ्ते पहले तक अपलोड कर देनी थीं।

अदालत के सामने लाई गई अवमानना की

शिकायत में कहा गया कि संबंधित दलों ने बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान अदालत के इस आदेश का ढंग से पालन नहीं किया। कोर्ट ने इस शिकायत को सही पाते हुए न केवल दोषी दलों पर जुर्माना लगाया बल्कि अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए यह भी कहा कि आगे से सभी दलों को प्रत्याशी के चयन के 48 घंटे के अंदर न केवल उनकी सूचना अपनी वेबसाइट पर डालनी होगी बल्कि दो समाचारपत्रों में भी छपवाना होगा। हालांकि इस मामले पर जब-तब यह राय भी प्रकट की जाती रही है कि शासन और पुलिस द्वारा अक्सर कई झूठे मामले राजनीतिक इरादों के तहत भी दर्ज कर लिए जाते हैं, जो आगे चलकर

अदालतों में खारिज हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस केस के आधार पर किसी उम्मीदवार के बारे में क्यों राय बनाई जाए? लेकिन समझना होगा कि इन आदेशों में न तो उम्मीदवारों के चुने जाने के अधिकार पर कोई रोक लगाई गई है और न ही चुनने के वोटों के अधिकार को सीमित किया गया है। सिर्फ यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि वोटों से जरूरी तथ्य न छुपाए जाएं। राजनीतिक दलों के इसी ढीले-ढाले रवैये के चलते संसद में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पिछले चार आम चुनावों के दौरान 24 फीसदी से बढ़कर 43 फीसदी तक पहुंच गई। जाहिर है, राजनीति के अपराधीकरण को अब और हल्के में लेना लोकतंत्र के भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है।

अनुभव का आनन्द

अशोक वोहरा।

भक्ति की पराकाष्ठा बताते हुए स्वामी कहते हैं— आत्मनः

भगवद्भावं

सर्वभूतेषु यः

पश्येत

अर्थात् आत्म

स्वरूप में बैठे हुए

उस परमात्मा को

जो एक शरीर में नहीं अपितु सभी

प्राणियों में देखता हो, अपने अनुभव को

आनन्द को सर्वत्र देखता हो वही प्रेमा

स्वरूपा भक्ति को प्राप्त हुआ होता है।

सूत्र है कि परमात्मा भक्ति स्वरूप है

अतः जब तक ईश्वर नहीं मिलता तब

तक भक्ति करते रहो। ईश्वर मिल जाने

के बाद भी भक्ति करो। विशेष अनुसार

अच्छा लगता है वह भक्ति नहीं कर

सकता तथा संसार जिसे काटने लगता

है तभी भक्ति में प्रवेश होता है। समाज

एवं परिवार की सेवा करना बहुत

अच्छा कार्य है। यदि उन सब का

संबंध या उनकी निष्ठा ईश्वर भक्ति से

जुड़ी हुई हो तो। अन्यथा यह विचार

नहीं करना चाहिए कि मैं समाज को

या दूसरे के जीवन सुधार दूंगा क्योंकि

संसार तो संसार ही है।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

बाजी मारने का प्रयास

हिंदुत्व या राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे पर लगातार बैकफुट पर धकेले जाने वाले विपक्ष ने अब अपना पूरा फोकस किसान और महंगाई पर किया है। विपक्ष को अंदाजा है कि भले तमाम दूसरे मुद्दों से वह बीजेपी को घेरने की कोशिश करे, लेकिन भावनात्मक मुद्दों पर सियासी नुकसान बीजेपी को नहीं होने वाला है। यही कारण है कि किसानों के भारत बंद को लगभग सभी विपक्षी दलों ने सपोर्ट दिया। साथ ही किसान आंदोलन और महंगाई ऐसा मुद्दा है जो अलग-अलग विरोधाभास का सामना कर रहे विपक्ष को एक करने का माद्दा रखता है। लेकिन पहली बार सरकार और पीएम मोदी के सामने अजेंडा को पहले अपने हक में लेने की चुनौती है। वैसे पूर्व का अनुभव कुछ और संकेत देता है। अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2017 में भी किसानों के मुद्दे ही पहले-पहल में केंद्र में आए थे। तब राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में यात्रा निकाली और कर्ज माफी का वादा किया। लेकिन बाद में पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने यह मुद्दा छीन लिया। चुनाव प्रचार में बीजेपी ने इसे आक्रामक तरीके से अपना मुद्दा बना दिया और वादा किया कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में कर्ज माफी का फैसला होगा। और जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तब इसका फैसला हुआ। उसी साल पंजाब में भी कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर जीत हासिल की। जाहिर है इस बार अंत में किसानों के मुद्दे को जो अपने पक्ष में करेगा, वह लाभ में होगा।

पिछले साल के अंत में शुरू हुए किसान आंदोलन में सरकार से अब तक 11 राउंड बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दरअसल किसान संगठन और सरकार, दोनों के सामने चुनौती साख बनाए रखने की है।

साख बचाने की है चुनौती

नरेंद्र नाथ।

पिछले दस महीने से चल रहा किसान आंदोलन ऐसे दौर में आ चुका है जहां से अगले कुछ दिन इसके लिए बेहद अहम होने वाले हैं। न सिर्फ सरकार के दृष्टिकोण से, बल्कि किसान आंदोलन के भविष्य के लिए भी ये दस दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। जिस तरह लखीमपुर में हिंसा हुई और उसमें आठ लोगों की मौत हो गई, उससे उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों तक किसान आंदोलन फैला। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई शुरू हुई तो पंजाब में अमरिंदर सिंह के सीएम पद से हटने के बाद उनका उपयोग किसान आंदोलन में करने की केंद्र सरकार की रणनीति पर चर्चा उठी। उससे लगभग 9 महीने बाद दोनों पक्ष बातचीत का रास्ता खोजने की संभावना फिर देखने लगे हैं। पिछले साल के अंत में शुरू हुए किसान आंदोलन में सरकार से अब तक 11 राउंड बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस साल 22 जनवरी को बातचीत विफल होने के बाद से लेकर अब तक सरकार और किसानों के बीच कोई बात नहीं हुई है। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद बातचीत का रास्ता एक तरह से बंद हो गया। दरअसल किसान संगठन और सरकार, दोनों के सामने चुनौती साख बनाए रखने की है। किसान संगठनों को अब तक कुछ क्षेत्रों से बड़ा



समर्थन मिलता रहा है। लेकिन अगर इसमें हिंसा और राजनीति का प्रवेश हुआ, तो एक बड़ा वर्ग इससे अलग हो सकता है। किसी भी आंदोलन को इतने लंबे समय तक बनाए रखना भी आसान नहीं है। एक और चुनौती इस धारणा को बनाए रखने की है कि यह ईगो या जिद से अधिक किसानों के सरोकार से जुड़ा मसला है। किसान संगठनों से जुड़े एक नेता ने एनबीटी से कहा कि अगर हिंसक टकराव और हुआ तो इससे आंदोलन प्रभावित होगा। वहीं सरकार से जुड़े एक सीनियर व्यक्ति ने कहा कि अगर आंदोलन लंबा खिंचता गया तो अब उनका सियासी नुकसान हो सकता है। अभी नए साल की शुरुआत में जिन राज्यों में चुनाव होना है, उनमें पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं, जहां किसान आंदोलन का असर सबसे अधिक पड़ा है। ऐसे में किसान संगठन भले मांग पूरी न होने तक आंदोलन चलाने का दावा करें, लेकिन उन्हें भी पता है कि व्यावहारिक तौर पर लोगों को और लंबे समय तक रोक पाना आसान नहीं होगा।

बीजेपी को भी पता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में हार के बाद वह मुद्दे को और लटका नहीं सकती है। अभी तक दोनों पक्ष अपनी जिद पर अड़े हैं, जिससे बात बढ़ने की संभावना समाप्त हो गई थी। किसान संगठनों ने कहा कि कानून वापसी से कम की शर्त मंजूर नहीं, तो सरकार ने पहले बात दिया कि वह किसी भी सूत्र में बिल को वापस नहीं लेगी। ऐसे में अब बीच का रास्ता कैसे तैयार किया जाए, सबसे अधिक चुनौती इसी बात को लेकर है।

दरअसल सरकार के सामने सियासी चिंता यह है कि किसान ऐसा तबका है जिससे देश की सबसे बड़ी आबादी प्रभावित है। साथ ही सरकार कोविड के बाद के हालात और महंगाई के मोर्चे पर पहले से जुझ रही है। दोनों ऐसे मुद्दे हैं, जिनका सरोकार आम लोगों से है। इनके बीच अगर किसान आंदोलन भी शामिल हो गया, तो सरकार और बीजेपी को एक साथ कई मोर्चों पर जुझना पड़ सकता है और विपक्ष को भी कारगर सियासी हथियार मिल सकता है। मोदी सरकार और बीजेपी को पता है कि किसानों की नाराजगी का असर राजनीति पर भी पड़ता है। पहले टर्म में इसके दोनों रूप बीजेपी देख चुकी है। 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव में गांवों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के पीछे किसानों का आक्रोश ही बड़ा कारण माना गया।

सूचकांक नववाला-5203	उत्तिमान
7	4
5	3
	8
	1
2	9
	8
6	7
1	4
9	2
8	5
	1

अपना ब्लॉग

सहिष्णुता के चरित्र को प्रतिबिंबित करेगी!

मोहन। क्या यह नया परिदृश्य इस देश की विनम्रता, सादगी, अभावों और सहिष्णुता के चरित्र को प्रतिबिंबित करेगी! गांधी की फकीरी, धार्मिक उदारता और मानवीय समानता के प्रयोगों के संदेश आगंतुकों को देने में समर्थ होगा! क्या यह श्रेयस्कर न होता कि साबरमती आश्रम में गांधी पर शोध करने वालों के लिए विशेष अवसर देने की योजनाएं बनाई जातीं, वहां सत्य और अहिंसा की वर्तमान समाज में स्थिति पर संगोष्ठियों का आयोजन कराया जाता, गांधी दर्शन पर विचार-विमर्श होता और 21वीं सदी के आधुनिक समाज तक गांधी की दृष्टि से विचार करने और उस पर अनुसंधान की कोशिश की जाती?

दुनिया भर में बहुत सारे लोगों का मानना है कि फेसबुक अपने इंस्टा और वॉट्सऐप सहित इसलिए गायब हुआ, क्योंकि उसे अपना वह डेटा गायब करना था, जिसकी रिपोर्ट व्हिसलब्लोअर फ्रांसेस हॉगन ने सोमवार को ही अमेरिकी कांग्रेस के सामने रखी थी। फ्रांसेस हॉगन ने फेसबुक से ही उड़ाए डेटा के आधार पर कांग्रेस को बताया कि किस तरह से फेसबुक बच्चों और लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहा है।

